(2)

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

बटाईदारी अपील वाद सं0–18/1998–99

गयानंद सिंह बनाम **अभय कुमार सिंह वगैरह**

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12-10-18	**आदेश** प्रस्तुत वाद गयानंद सिंह, पिता स्व0 बेसलाल सिंह, ग्राम–बेसौर, पो0–दौलतपुर, थाना–मसौढ़ी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के बटाईदारी वाद सं0–01/1989–90 गयानंद सिंह बनाम अभय कुमार सिंह वगैरह में दिनांक–12.03.1998 को पारित आदेश के विरूद्ध बी0टी0 एक्ट की धारा–8 के अंतर्गत दिनांक–20.11.1998 को अपील आवेदन प्राप्त हुआ है। अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक 08.08.2000 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। वाद प्रतिग्रहित हेतु दिनांक–12.09.2000 निर्धारित किया गया। दिनांक–15.06.04 को अपीलकर्ता के अधिवक्ता को सुना। विपक्षीगण को नोटिस निर्गत करते हुए अपील को प्रतिग्रहित किया गया। सुनवाई की तिथि 21.07.2004 निर्धारित की गयी। दिनांक–11.12.2014 को प्रतिवादी की हाजरी पड़ी। परमेश्वर सिंह पिता स्व0 राम गोविन्द से प्रतिवादी बनने हेतु दिनांक–11.12.2014 को दाखिल आवेदन को स्वीकृत किया गया। प्रश्नगत वाद अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय संचालित बटाईदारी अपील वाद सं0 12/1998–99 से संबंधित है। जिसमें इस न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया कि अपीलकर्ता को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए तथा अगली तिथि 06.02.2015 निर्धारित की गयी। अपीलकर्ता लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित रहे हैं। विपक्षी सं0 02 की ओर से दिनांक–22.04.2016 को लिखित बहस दाखिल किया गया है कि वे सभी पार्टी सिविल न्यायालय में Title Suit दायर कर दिए हैं। इसलिए वाद को खारिज कर दिया जाय। इस बिन्दु पर दिनांक–12.10.2018 को सुनवाई की गयी। उक्त आवेदन के बिन्दु पर सरकारी सहायक अधिवक्ता द्वारा कोई आपति	

	नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अपील संचालन में अपीलकर्ता की कोई अभिरूचि नहीं है। साथ विपक्षीगण भी इस न्यायालय में वाद संचालित करने के स्थान पर टाईटिल वाद में अपना मामला निपटारा चाहते हैं। सरकारी अधिवक्ता के द्वारा भी किसी प्रकार की आपति व्यक्त नहीं की गयी है। अतः यह अपील वाद अब चलने योग्य नहीं रह गया है। अपील वाद को बिना गुण–दोष की समीक्षा किए खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** 12/10/18 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। 12/10/18 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।	